



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230853
CG-DL-E-01112021-230853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4170]
No. 4170]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4531(अ).—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959(1959 के सं. 57) की धारा 8 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिये, निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करती है :

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री ए. के. साधु, पूर्व महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए. के. नाग, पूर्व सलाहकार, डीएसआईएम, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
3.	प्रो. राहुल मुखर्जी (सेवानिवृत्त) विजिटिंग फैकल्टी, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता	सदस्य
4.	वित्तीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	सदस्य
6.	उप-महानिदेशक(आईआईआईसीयू), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. उपर्युक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

क. यथासंभव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत के पहले केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने हेतु विवरणी तैयार करना जिसमें उस वर्ष के लिए संस्थान द्वारा किये जाने के लिए सहमत हुए कार्यक्रमों को दर्शाते व्यौरे जिसके लिए केंद्र सरकार निधि उपलब्ध करवा सकती है तथा साथ ही ऐसे कार्य के संबंध में सामान्य वित्तीय आंकलन ; और

ख. इस तरह के कार्य की कार्य योजना का व्यापक रूप से व्यवस्थापन ।

3. समिति को सचिवीय सहायता भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी और समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. समिति की बैठक होने पर समिति बैठक का कार्यवृत्त केंद्र सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी । समिति उपर्युक्त अधिदेश पर, एक रिपोर्ट (अंतिम रूप देने के पश्चात) प्रस्तुत करेगी ।

[फा. सं. आई-12011/16/2013-भा.सां.सं.]

चन्द्रदीप कुमार झा, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2021

S.O. 4531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (No.57 of 1959), the Central Government hereby constitutes a Committee for the period from 01.04.2021 to 31.03.2023 consisting of :

Sl. No.	Name	Designation
1	Shri A K Sadhu , ex- Director General, Ministry Of Statistics And Programme Implementation	Chairman
2	Dr A K Nag, Ex Adviser, DSIM, Reserve Bank of India	Member
3	Prof. Rahul Mukerjee (retd.) Visiting Faculty, Indian Institute Management, Kolkata	Member
4	Financial Advisor, Ministry Of Statistics And Programme Implementation or his/her representative	Member
5	Director, Indian Statistical Institute	Member
6	Deputy Director General(IIICU) in Ministry Of Statistics And Programme Implementation	Member- Secretary

2. The Terms of Reference of the said Committee are as follows:

a. the preparation and submission to the Central Government, as far as possible, before the commencement of each financial year, of statements showing programmes of work agreed to be undertaken by the Institute during that year for which the Central Government may provide funds as well as general financial estimates in respect of such work; and

b. the settlement on broad lines of the programmes of such work.

3. Secretarial assistance to the Committee shall be rendered by Indian Statistical Institute and the headquarters of the Committee will be at New Delhi.

4. The Committee shall submit its minutes to the Central Government in the Ministry of Statistics and Programme Implementation as and when the Committee meets. The Committee shall submit a Report on the above mandate as and when finalized.

[F. No. I-12011/16/2013-ISI]

CHANDRADEEP KUMAR JHA, Dy. Director Genl.